न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

R-505-II/2012

मृत तिजवा पुत्र श्री मनप्यारे अहिरवार, निवासी ग्राम भभुवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1. तुलसीदास पुत्र श्री रामचरन पटेल,
2. बैजनाथ पुत्र श्री रामचरन पटेल,
3. आशाराम पुत्र श्री बैजनाथ पटेल,
4. महेश पुत्र श्री बैजनाथ पटेल,
5. राजाराम पुत्र चित्ते पटेल,

समस्त निवासीगण भभुवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

6. दिलीप कुमार पुत्र श्रीभागचन्द्र पटेल,
7. शिवराम पुत्र श्री भागचन्द्र पटेल,
8. कुलदीप पुत्र श्री भागचन्द्र पटेल
9. रूकमनदेवी पुत्री श्री भागचन्द्र पटेल
10. राजकुमार वैवा श्री रमेश,
11. राजेश नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
12. हरेन्द्र नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
13. विपिन नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश
14. प्रियंका नाबालिग राजकुमारी वैवा रमेश

समस्त निवासीगण ग्राम तालगांव, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

15. मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.13 के अनुसार संशोधन, 1. तिजवा 2. ... 3. ... निवासी ग्राम भभुवा तह. राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

आज दि. 01.3.12 को ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.07.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-505/दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश तिजवा (मृतक) वारिस चन्द्रभान आदि वि. तुलसीदास	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री ओ0पी0 शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है जो अंतरिम स्वरूप का है, जिसके विरूद्ध निगरानी सुनने का अधिकार न्यायालय राजस्व मण्डल को है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक को अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी। अंतिम आदेश की निगरानी नहीं हो सकती जो विधि विरूद्ध है। निगरानी अग्राह्य करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2011 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में विवेचना करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निष्कर्ष निकाला गया है तथा प्रकरण गुण दोष के आधार पर निराकरण किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित करते हुए अपील स्वीकार की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 49 में अधिनियम कमांक 42 सन् 2011 दिनांक 30.12.2011	

के द्वारा किए गये संशोधन के पश्चात अपील में पारित आदेश से प्रकरण को अधीनस्थ प्राधिकारी को निपटाने हेतु प्रतिपेषित करने पर रोक लगा दी गयी। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता में हुए संशोधन के पूर्व दिनांक 30.7.2011 को आदेश पारित कर प्रकरण गुण दोष के आधार पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस प्रकरण में कोई कार्यवाही होना शेष नहीं थी। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश अंतिम आदेश है। जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 (2) (एक) के तहत अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिऐ थी, जहां उसे इस प्रकम पर सहायता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त था । इस संबंध में (1995 (1) एमपीजेआर 226 पुल बैंक आरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी वि0 चिमामन यह निर्णय पांच जजो की फुल बैंच का है) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील योग्य आदेश की रिवीजन की अर्जी ग्राह्य नहीं–अपील योग्य आदेश की अपील नहीं की गई, उसकी रिवीजन करने की अर्जी नहीं की जा सकती विवादित एवार्ड को भी–संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन भी (चुनौती) चेलेंज नहीं किया जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर संहिता में निहित प्रावधानों एवं न्यायसिद्धांतों के प्रकाश में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य 9/12/15